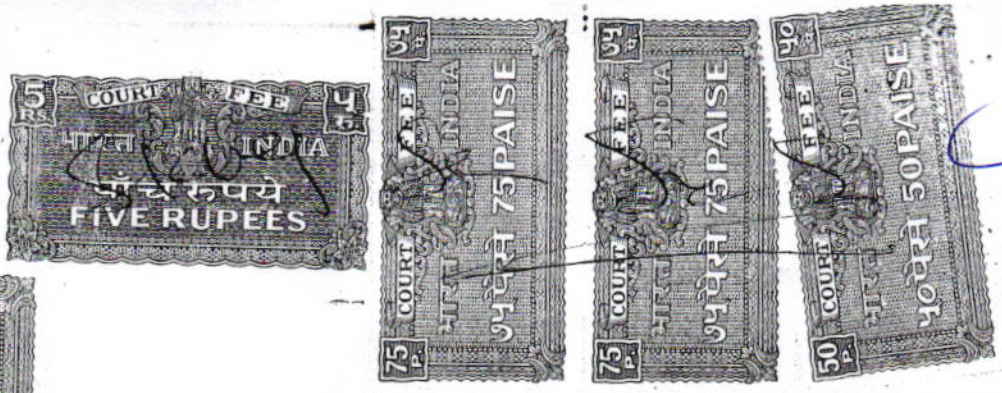

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १६४ पुनरीक्षण

बुद्धसिंह पुत्र बटई कुर्मी
निवासी ग्राम एरई तहसील एवं जिला
दतिया ------ आवेदक

विरुद्ध

जगदीश पुत्र दयाराम कुर्मी
निवासी ग्राम एरई तहसील एवं जिला
दतिया ------ अनावेदक

RV/5:1/R/1239/94

श्री ... अभिभाषक द्वारा आ. दिनांक ... को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

आयुक्त ग्वालियर संभाग व्दारा प्रकरण क्रमांक १८।६१-६२ पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक १८-४-६४ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता, १६५६.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(१) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनियमित तथा सुनिश्चित प्रक्रिया के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(२) यह कि आवेदक की ओर से नामांतरण हेतु दिये गये आवेदन-पत्र में चाहा गया संशोधन स्वीकार किये जाने योग्य है । आवेदक मृत भूमिस्वामी का भतीजा है । मृतक रंजीत का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है । आवेदक को रंजीत ने गोद पुत्र के रूप में ग्रहण किया था ।

(३) यह कि आवेदक व्दारा चाहे गये संशोधन से प्रकरण की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है । मूल आवेदन में आवेदक ने स्वयं को

--- २

RM-1239/94 (दतिया)

8.9.16

आवेदक को आंग्ले चलि श्री
[illegible] के वाजपेयी स्वयं आवेदक
[illegible] अपना कहीं पता न
प्रस्तुत करने से प्रकरण उसी स्तर
पर समाप्त किया जाता है।
अभिलेख कार्यालय किया
जावे।

[illegible]